मुक्तिनारायण झा और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

(Muktinarain Jha and Others

Vs.

The State of Bihar)

(23 जनवरी, 1978)

(न्यायाधिपति वी० आर० कृष्ण अय्यर और जसवन्त सिंह)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)—धारा 371—दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि के आदेशों को निचले न्यायालयों को तुरन्त संसूचित करने के कर्तव्य में उच्च न्यायालय की ओर से विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

विशेष इजाजत के लिए पिटीशन को इससे पूर्ववर्ती अवसर पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पिटीशनरों ने न्यायिक अभिरक्षा में अभ्यर्पण नहीं किया था जो इस न्यायालय में अपील फाइल करने की इजाजत के लिए पुरोभाव्य शर्त है। किन्तु पिटीशरों ने विशेष इजाजत-पिटीशन के प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तुत पिटीशन में यह संकेत किया है कि यद्यपि उन्होंने अपने आपको प्रस्तुत किया था और सहायक सेशन न्यायाधीश के समक्ष जेल अभिरक्षा में भेजे जाने के लिए अभ्यर्पण किया था। न्यायालय ने, उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त न होने के कारण अभिरक्षा में नहीं लिया। उच्चतम न्यायालय में की गई अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उच्च न्यायालय दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि करने वाले निर्णय देते हैं तो विचारण न्यायालयों को दण्डादेश की पुष्टि के तथ्य की संसूचना देने में बहुत विलम्ब हो जाता है। कम से कम उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के पश्चात् दण्डादेश में तब विलम्ब नहीं किया जाना

चाहिए जब यह उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा के करण विचारण न्यायालयों को संसूचना की उस अविवेकी प्रक्रिया में होती जो हमारी न्यायालय प्रणाली के स्थापन शाखा की बुराई प्रकट करती है। ऐसे मामलों में आत्यंतिक व्यावहारिक प्रक्रिया विकसित की जाए जिससे कि विधि-शासन को उस न्यायिक कार्य के कुप्रबन्ध के कारण और आघात न पहुंचे, जिसे थोड़ी और सतर्कता और सावधानी से ठीक किया जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय की प्रशासनिक शाखा कम उपेक्षावान रही होती तो वे बातें नहीं हो सकती थीं जो नहीं होनी चाहिए थीं। विशेष इजाजत का पिटीशन पांच सप्ताह बाद सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्पण के लिए 10 दिन का समय है। इस बीच आदेश की संसूचना कुछ प्रशासनिक स्पष्टता के साथ उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय दोनों को ही की जाएगी। (पैरा 1, 2 और 3)

दाण्डिक अपीली अधिकारिता: 1978 का प्रकीर्ण दाण्डिक पिटीशन संख्या 168

विशेष इजाजत-पिटीशन के प्रत्यावर्तन के लिए किया गया आवेदन।

पिटीशनर की ओर से श्री प्रमोद स्वरूप

अभिलेख अधिवक्ता

पिटीशनर की ओर से श्री प्रमोद स्वरूप

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति वी० आर० कृष्ण अय्यर ने दिया।

न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर–

विशेष इजाजत के लिए पिटीशन को इससे पूर्ववर्ती अवसर पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पिटीशनरों ने न्यायिक अभिरक्षा में अभ्यर्पण नहीं किया था जो कि न्यूनाधिक रूप से इस न्यायालय में अपील फाइल करने की इजाजत चाहने के लिए पुरोभाव्य शर्त है। किन्तु पिटीशनरों ने विशेष इजाजत पिटीशन के प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तुत पिटीशन में यह संकेत किया है कि यद्यपि उन्होंने अपने आपको प्रस्तुत किया था और मदनीपुरा के सहायक सेशन न्यायाधीश के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए अभ्यर्पण किया था कि उन्हें जेल अभिरक्षा में भेज दिया जाए। न्यायालय ने, उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त न हो पाने के कारण अभिरक्षा में नहीं लिया। प्रथमदृष्ट्या बात उपाबंध 'ए' को ध्यान में रखते हुए सही प्रतीत होती है जोकि

1978(1) eILR(PAT) SC 1

उस आवेदन की एक प्रति है जो उस न्यायालय में दिया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उच्च न्यायालय दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि करने वाले निर्णय देते हैं तो विचारण न्यायालयों को दण्डादेश की पुष्टि के तथ्य की संसूचना देने में बहुत विलम्ब हो जाता है। कम से कम उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के पश्चात् दण्डादेश में तब विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए जब यह उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा के कारण विचार की उस अविवेकी प्रक्रिया में होती है जो विचारण न्यायालयों को संसूचना की उस अविवेकी प्रक्रिया में होती जो हमारी न्यायालय प्रणाली के स्थापन शाखा की बुराई प्रकट करती है। हम यह आशा करते हैं कि ऐसे मामलों में अत्यधिक व्यावहारिक प्रक्रिया विकसित की जाए जिससे कि विधि-शासन को उस न्यायिक कार्य के कुप्रबन्ध के कारण और आघात न पहुंचे, जिसे थोड़ी और सतर्कता और सावधानी से ठीक किया जा सकता है।

2. ये मताभिव्यक्तियां प्रस्तुत मामले से सुसंगत हैं क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय के और उन दण्डादेशों के जिनमें अभ्यर्पित करने की प्रस्थापना की गई थी, बहुत पश्चात् न्यायालय का दण्डादेश प्रवर्तित होना प्रारम्भ नहीं हुआ था और इस न्यायालय में विशेष इजाजत के पिटीशन को खरिज करना होगा........क्योंकि यदि उच्च न्यायालय की प्रशासनिक शाखा कम उपेक्षावान रही होती तो वे बातें नहीं हो सकती थीं जो नहीं होनी चाहिए थीं।

3. पिटीशन मंजूर किया जाता है और विशेष इजाजत का पिटीशन पांच सप्ताह बाद सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा अभ्यर्पण के लिए 10 दिन का समय है। इस बीच आदेश की संसूचना कुछ प्रशासनिक स्पष्टता के साथ उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय दोनों को ही की जाएगी। (निर्देश की परिपाटी की रिपोर्ट की जानी है)।

पिटीशन मंजूर किया गया।

श०